UPSP010073302026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी – **निशान्त देव**, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3102/2026

वसीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम बरथाकायस्थ उर्फ पठेड, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर ।
.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य **......... अभियोजन**

विशेष वाद संख्या–769/2021
मु0अ0सं0– 600/2020
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– चिलकाना, जिला– सहारनपुर।

22–07–2026

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** पुत्र शमीम की ओर से विशेष वाद संख्या–769/2021, मु0अ0सं0–600/2020 अंतर्गत धारा– 8/20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शमीम पुत्र अल्लारखा का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः कथन किये गये हैं कि प्रार्थी दिनांक 17.11.2025 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। दिनांक 08.10.2025 को थाना चिलकाना पुलिस की आख्या अनुसार कि एक अन्य वाद में जिला कारागार में निरुद्ध है, दिनांक 17.11.2025 को अन्तर्गत धारा 309 दं0प्र0सं0 के वारण्ट पर जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी पूर्व से उपरोक्त मुकदमे में जमानत पर था परन्तु अन्य वाद में जिला कारागार सहारनपुर में होने के कारण नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण प्रार्थी के गैर जमानती वारंट न्यायालय के द्वारा जारी कर दिये गये थे। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने में कोई चूक जानबूझकर नहीं की है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 19.05.2023 को गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये थे। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त अन्य वाद में जिला कारागार में निरुद्ध था, जिस कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। अभियुक्त दिनांक 01.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत हेतु उचित जमानती पेश करने को तैयार है।

उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** पुत्र शमीम की ओर से विशेष वाद संख्या–769/2021, मु0अ0सं0–600/2020 अतंर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/– (एक लाख) रुपये का नया व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नये प्रतिभू पत्र न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक : 22–07–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी. 1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.22 16:06:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur